Order Sheet

न्यायालय–धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई,
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

BA/302/2026
Filing No. **BA /2033/2026**
CNR No. MP2808-**002424-2026**

रामकेश उईके ....**आवेदक/अभियुक्त।**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा आरक्षी केन्द्र–चांद, जिला–छिंदवाडा (म.प्र.)
....**अनावेदक।**

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अंतरिम कार्यवाही दिनांक 13.08.2026 अभियुक्त रामकेश उईके की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बलराम पाल ने उनकी पहचान करते हुये उसको न्यायालय के समक्ष समर्पित किया एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–70(2) द.प्र.स के साथ धारा 437 द0प्रं0सं0 का अधिवक्ता पत्र सहित पेश कर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने हेतु पेश किया है। अभियुक्त के विरूद्ध गिरफतारी वारंट का आदेश प्रचलित होने से उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। जमानत आवेदन पर सुना गया है। आवेदन में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त खाने–कमाने बाहर चला गया था, जिससे उसे पेशी तारीख की जानकारी नहीं हो पाई थी, जिस कारण वे न्यायालय में पेशी दिनांक पर उपस्थित नहीं हो पाए थे, जिससे अभियुक्त के विरूद्व स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 294, 323, 324, 506 बी भादवि के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रकरण में विचारण में समय लगने की सभांवना है। अतः अभियुक्त को प्रतिभूति का लाभ दिया	

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–437 द.प्र.स. स्वीकार किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से 20,000/–(बीस हजार)रुपए की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का प्रतिभूति पत्र पेश किया जावे तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे। अभियुक्त ने पूर्व प्रतिभूति पत्र का उल्लंघन किया है। उनके पूर्व प्रतिभूति पत्र से 200/–(दो सौ रूपये) की राशि राजसात की जाती है, शेष राशि माफ की जाती है। अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तो के अधीन रिहा किया जावे। 1– अभियुक्त नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। 2– अभियुक्त इस मामले से संबंधित साक्षीगण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे। 3– अभियुक्त आरोपित अपराध की प्रकृति का कोई अन्य कृत्य कारित नहीं करेंगे। **सही/–** (धर्मेन्द्र खण्डायत) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई, जिला छिंदवाड़ा पुनश्च् अभियुक्त की ओर से जमानतदार फूलभानसा पिता झीनो आयु करीब 55 साल निवासी– खुटिया झांझरिया थाना चांद जिला छिंदवाड़ा म0प्र0 की ओर से 20,000/–(बीस हजार) की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का प्रतिभूति पत्र पेश किया गया है। जमानतदार की पहचान श्री बलराम पाल अधिवक्ता द्वारा की गई। जप्त मुचलका राशि ऑन लाईन के माध्यम से चालान क्रमांक 016853 पर जमा कराई गई। अभियुक्त को छोडा गया। अभियुक्त को जारी गिरफतारी वारंट अद्म तामील वापिस बुलवाया जावे। प्रकरण पूर्ववत दिनांक 26.09.2026 को पेश हो। **सही/–** (धर्मेन्द्र खण्डायत) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई, जिला छिंदवाड़ा DHARMENDRA KHANDAYAT Digitally signed by DHARMENDRA KHANDAYAT Date: 2026.08.13 16:26:48 +0530	